HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8370/2026

Ganesh S/o Pabud Ram, Aged About 39 Years, R/o Khedia Dhani, Aakodiya, Police Station Arai, District Ajmer (Rajasthan) (Presently Confined At District Jail, Tonk).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishal Gurjar Mr. Ashvin Garg
For Respondent(s)	:	Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)
Order

11/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना पचेवर जिला टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त पर वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा में मादक पदार्थ का विक्रय करने का आरोप है। सहअभियुक्त मोती दास जिसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ है, उसका जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2388/2026 आदेश दिनांक 23.03.2026 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यद्यपि यह सही है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा में मादक पदार्थ के विक्रय करने का आरोप है, परंतु प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। सहअभियुक्त मोती दास जिसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2388/2026 आदेश दिनांक 23.03.2026 को समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त पर वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा में मादक पदार्थ का विक्रय करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गणेश पुत्र पाबूद राम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

KISHAN SONI/103